FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु........ मुकाम ....

........आईदानराम........ बनाम ....रुगनाथाराम वगैरा........

किस्म मुकदमा ....88, 188 R.T. Act.... नं. ....70/18.... सन् ....2018....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/05/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....रेवनाराम आरब.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....88, 188.... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....23/05/18.... को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/05/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बाराडू में रखी गई, वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 से 10 तक को तर्क किया गया जिससे कोई किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 से PW-3 वादीगणों स्वयं के शपथ-पत्र व स्वतन्त्र गवाह PW-4 श्री भंवरलाल पुत्र श्री	प्रतिवादी सं 2 से 10 तक को तर्क किया जाता है (हस्ताक्षर) वादी वकील अल राजकरण आईदानराम (हस्ताक्षर) भंवरलाल

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

लागाराम जाति - देवासी - निवासी - मिठिया तला, बायतु पनजी तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त रूप से पुश्तैनी जमीन ग्राम मिठिया तला पटवार हल्का बायतु पनजी तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर - 349, 350, 379, 920/380 रकबा - क्रमशः 0.05, 219.19, 22.12, 08.05 बीघा व ग्राम मेहरोणी मुंडों की ढाणी पटवार हल्का - बायतु पनजी तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 395, 396 रकबा क्रमशः 0.12, 110.04 बीघा की आई हुई है। उक्त जमीन वादीगण व प्रतिवादी की पुश्तैनी होने से वादीगण व प्रतिवादी का बराबर का हक हिस्सा है। वक्त सेटलमेन्ट उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा लालाराम के नाम दर्ज हुई थी।

उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक है परन्तु वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। वादीगण के पिता प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण को प्रतिवादी ने परिवार से अलग कर दिया है। व उनके हिस्से में आने वाली जमीन बांट कर मौके पर हिस्सेनुसार बंटवारा कर अलग करके दे दिया है जिसमें वादीगण की रहवासी ढाणी व टांका भी बने हुए हैं परन्तु वादीगण का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है। इस कारण

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फसल बिमा करवाने, सहकारी समितियों व बैंको से अल्पकालीन ऋण लेने में असुविधा रहती है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अपना व हिस्सा बराबर-बराबर हिस्सा घोषित करवाना चाहते है जिस हेतु वादीगणो द्वारा यह वाद घोषणा का प्रस्तुत किया गया। वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त हिन्दु परिवार से शामिल होता है जिसमें बच्चो के जन्म के साथ ही अचल सम्पति में अधिकार पैदा हो जाता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार वादीगण अपनी पैत्रिक भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादीगण बराबर बराबर हिस्सेदार है। प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश कर उक्त भूमि में वादीगण का बराबर-बराबर का हिस्सा होना स्वीकार किया गया। तथा वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रो का अवलोकन करने तथा पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने से प्रतिवादी संख्या 1 के 1/7 हिस्से की भूमि में वादीगण का बराबर-बराबर का हिस्सा होना साबित होता है।	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- मठिया तला परवार हल्का बायतु पनजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 349, 350, 379, 920/380 रकबा क्रमशः 0.05, 219-19, 22.12, 08.05 बीघा व ग्राम मांटीगोली मुठो श्री नगी परवार हल्का बायतु पनजी तहसील बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 395, 396 रकबा क्रमशः 0.12, 110-04 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/7 वे हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय मुताबिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

नकल व ताराख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी :— श्री हेताराम चौहान R.A.S.

अनवान्

वादीगण	बनाम	**प्रतिवादीगण**
आईदानराम वगैरा		रणछाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या— 70 / 18 **निर्णय दिनांक :— 23.05.2018**

वादीगण की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.05.2018 को (नाम पीठासीन अधिकारी) हेताराम चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि —

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मीठीया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 349, 350, 379, 920 / 380 रकबा क्रमशः 00.05, 219.19, 22.12, 08.05 बीघा व मौजा महिंगोणी मूढों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 395, 396 रकबा क्रमशः 00.12, 110.04 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/7 वें हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(SDO) बायतु

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादी

1. आईदानराम पुत्र रणछाराम
2. केशाराम पुत्र रणछाराम
3. बगताराम पुत्र रणछाराम
4. भंवरलाल पुत्र रणछाराम

जाति जाट निवासी मीठीया तला, बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. रणछाराम पुत्र लालाराम
2. मनोज कुमार पुत्र गणेशाराम
3. कंवरी देवी पत्नी गणेशाराम
4. हनुमानराम पुत्र खेमाराम
5. पूरोंदेवी पत्नी खेमाराम
6. रूगनाथराम पुत्र लालाराम
7. भूराराम पुत्र लालाराम
8. रिड़मलराम पुत्र लालाराम
9. पनाराम पुत्र लालाराम
10. चूनाराम पुत्र लालाराम

जातियान् जाट निवासीयान् मीठीया तला, बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर, बायतु